भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3338

गुरूवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजनाएँ

3338 डा. अशोक कुमार मित्तलः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में भारत की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि करने में असमर्थता के क्या कारण हैं, जो विश्व में विद्यमान २ प्रतिशत की दर से कम है;

(ख) स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी प्रमुख योजनाओं में धीमी गति से कार्यान्वयन और निधियों के कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ग) पर्यटन सेवाओं पर उच्च जीएसटी को कम करने के लिए प्रभावी कदम न उठाने के क्या कारण हैं, जिससे भारत एक महंगा गंतव्य स्थान बन जाता है;

(घ) पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा, विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा तथा स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए सरकार की कार्यनीति क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के तहत विकसित किये गए अधिकांश गंतव्य स्थान महत्वपूर्ण निजी निवेश आकर्षित करने में विफल क्यों रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा, वीजा सुविधा, वैश्विक विपणन, सुरक्षा धारणा, यात्रा का उद्देश्य (अवकाश, व्यवसाय, चिकित्सा, शिक्षा, आदि), सामर्थ्य और समग्र आगंतुक अनुभव। पर्यटन मंत्रालय बेहतर हवाई संपर्क, ई-वीजा व्यवस्था के विस्तार, पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने और केंद्रित वैश्विक विपणन अभियान जैसे उपायों के माध्यम से आगमन को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। नवीनतम यूएनडब्ल्यूटीओ बैरोमीटर के अनुसार, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 20वें स्थान पर था, जिसमें 2019 में 17.91 मिलियन की तुलना में 20.57 मिलियन आईटीए दर्ज किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, आईटीए में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 2019 में 1.22% से

बढ़कर 2024 में 1.40% हो गई।

(ख): स्वदेश दर्शन और प्रशाद नामक योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है जो कि मुख्यतः राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की कार्यान्वयन एजेंसियां होती हैं। भूमि संबंधी मुद्दे, मंज़ूरी/अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रशासनिक मामले, टीएसए मॉडल 1 को अपनाना आदि कुछ परियोजनाओं में धीमी गति से कार्यान्वयन और निधियों के कम उपयोग के कुछ कारण हैं।

(ग): जीएसटी परिषद द्वारा पूर्व में की गई सिफारिशों के आधार पर, उच्च जीएसटी को कम करने और कर ढांचे में एकरूपता लाने के उद्देश्य से पर्यटन उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. 7,500 रुपये से अधिक के होटल कमरों पर लागू जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है।

ii. 7,500 रुपये और उससे कम के होटल कमरों पर लागू जीएसटी की दर को 12% की एकसमान दर पर सुव्यवस्थित किया गया है।

iii. रेस्तरां पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% की एकसमान जीएसटी दर लागू की गई है, चाहे रेस्तरां वातानुकूलित हों या नहीं।

(घ): पर्यटकों की सुरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय ने समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ इस मामले को उठाया है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।

पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान करने और भारत में यात्रा के दौरान संकटग्रस्त पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 या शॉर्ट कोड 1363 पर 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियाई, अरबी), हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक सूचना-हेल्पलाइन स्थापित की है।

इसके अलावा, सरकार ने एक समर्पित गैर-व्यपगत कॉर्पस फंड - निर्भया फंड की स्थापना की है, जिसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए डिज़ाइन की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार के लिए "महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल" योजना के अंतर्गत लगभग 16.79 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

(ड.): जबकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन और प्रशाद नामक योजनाओं के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जाती है, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनों के द्वारा और पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान करके, पर्यटन स्थलों पर निजी निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ परियोजनाओं का संचालन एवं प्रबंधन किया जाता है।

****